

1679  
24/11/20

आवेदन पत्र को साक्ष्य में जांच की गई। जिराके अनुसार 2075-78 में जमावदी है 325 के आधार पर वारंटे का नाम भानाराम पुत्र जीगाराम गुडाढर है। जिराके अनुसार 2075-78 में जमावदी है 325 के आधार पर वारंटे का नाम भानाराम पुत्र जीगाराम गुडाढर करने की अनुमति दी जाती है।  
 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी जिला, गुडाढर (खण्ड)  
 (प्रार्थी का पता नाम न पता)

1670  
24/11/20

गूल ही उपखण्ड अधिकारी महोदय, उदयपुरवाटी को प्रेषित कर निवेदन है कि आवेदन पत्र में वर्णितानुसार आवेदक का नाम दुरुस्त किया जाना उचित है/उचित नहीं है। आवेदक का नाम दुरुस्त किये जाने की अनिश्चया की जाती है/रखी जाती है।  
 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी/गुडागौड़जी  
 दिनांक :-

उक्त किता जग उचित है।

24/11/2021

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर उदयपुरवाटी जिला, गुडागौड़जी  
 :- आदेश :-

दिनांक 24/11/2021

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्षों एवं तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी/गुडागौड़जी की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अनुसरण में निम्नांकित दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी/गुडागौड़जी को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.सं.	ग्राम	जमावन्दी-सम्बन्ध	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
1	गुडाढर	2075-78	325	राम भानाराम पुत्र जीगाराम	भानाराम पुत्र जीगाराम

नोट :-शेष पृविष्टियां यथावत रहेंगी तथा यदि उक्त भूमि रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त निर्णय पालना की जावे।

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी

दिनांक :- 24/11/20

क्रमांक :- राजस्व/2020/1587-88  
 तिलिपि :-

1. तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी/गुडागौड़जी को वास्ते पालनार्थ।
2. प्रार्थी/प्रार्थीया .....

को सूचनार्थ।  
 उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी